न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/17

निर्णय दिनांक :–16.01.2018

1. लालसिहं
2. गिरधारी सिहं पुत्रगण श्री भंवरसिहं जाति दरोगा निवासी ग्राम ढाढण स्थायी निवासी रामसीसर तहसील रामगढ शेंखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
3. अशोक कुमार
4. विजय कुमार
5. रामकुमार पुत्रगण चन्द्रसिहं जाति जाट निवासीगण ढाणी बैजु पुरोहित तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान।
6. मूली देवी पत्नि चन्द्रसिहं जाति जाट निवासीगण ढाणी बैजु पुरोहित तहसील रामगढ जिला सीकर राजस्थान।

.............प्राथीगण

बनाम

1. धर्माराम पुत्र श्री लखुराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाढण तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान।

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा.का. अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण स. 01 व 02 भूमि ख. नं. 521/1 रकबा 4.16 हे. व खसरा न. 521/2 रकबा 3.45 है0 वाके ग्राम ढाढण जिनका पूर्व में खसरा नम्बर 284 था के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण संख्या 03 ता 06 भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 6.49 है0 वाके ग्राम ढाढण जिसका पूर्व मे खसरा नम्बर 285 था के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 01 भूमि खसरा नम्बर 494 रकबा 6.97 है0 वाके ग्राम ढाढण जिसका पूर्व मे खसरा नम्बर 270 था का काबीज खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी कें खेत खसरा नम्बर 521/1 व खेत खसरा नं. 521/2 मे आवगमन का एक मात्र 15 फूट चौडा रास्ता हमेशा से पैतृक रूप से अप्रार्थी स0 01 के खेत खसरा

नम्बर 270 जिसका वर्तमान नम्बर 494 है मे से गुजरने वाले कटानी रास्ते से संलग्न नक्शे मे दर्शित X स्थान से फटकर खसरा नम्बर 494 मे से चलकर प्रार्थीगण संख्या 03 ता 06 के खसरा नम्बर 285 जिसका वर्तमान नम्बर 514 के मध्य मे से होता हुआ प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत खसरा नम्बर 284 जिसका वर्तमान नम्बर 521/1, 521/2 है मे प्रवेश करता है जिसे संलग्न नक्शे मे अंक ए.बी.सी. से दर्शित किया गया है जिस से प्रार्थीगण गमनागमन मय अपने पशुधन, उट गाडी, टेक्टर, कृषि यंत्रो सहीत करते आ रहे है जो रास्ता मौके पर पूर्ववत चालू है।

प्रार्थीगण के उक्त खेत खसरा नम्बर 284 व 285 जिनमें वर्तमान नम्बर 514, 521/1, 521/2 है में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कभी नही रहा है और ना अब कोई अन्य रास्ता है।

प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा नम्बर 270 जिसका वर्तमान नम्बर 494 है मे से गुजरने वाले कटानी रास्ते से फटकर संलग्न नक्शे मे अंक ए. बी. सी. से दर्शित रास्ते से हमेशा निरन्तर निर्बाध रूप से गमनागमन करते रहने से प्रार्थीगण को उक्त रास्ते बाबत सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है जिस उक्त रास्ते को अप्रार्थी संख्या 01 अथवा अन्य किसी को किसी भी प्रकार से तंग अवरूध करने का व प्रार्थीगण के उक्त रास्ते से आवगमन मे किसी भी प्रकार से कोई बाधा डालने का हक अधिकार नही है यदपि उक्त रास्ता अनाधिकाल से मौके पर कायम रहा है व आज भी है किन्तू प्रार्थीगण के उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे नही होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को बन्द, तंग, व अवरूध करने की धमकीया प्रार्थीगण को 10 दिन से दे रहा है जिसका उसे कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे अमल करवा देने को कई बार निवेदन किया है किन्तू वह अब 02 दिन से इन्कार है इसलिए उसमे विपरीत यह प्रार्थना पत्र यंस्थित करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 494 व खसरा नम्बर 514 मेसे गुजरने वाले अंक ए. बी. सी. से दर्शित रास्ते बाबत हक अधिकार हासिल है किन्तू अनावश्यक विवाद को टालने हेतू प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 494 मे से गुजरने वाले संलग्न नक्शे के अंक ए. बी. से दर्शित रास्ते बाबत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करने को तत्पर है, अंक बी.सी. से दर्शित रास्ता प्रार्थीगण के खातेदारी मे ही है जिसे वह स्वयं ही रास्ते बाबत समर्पित करते है जिसका कोई शुल्क वह किसी से भी प्राप्त करना नही चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 270 जिसका वर्तमान नम्बर 494 वाके ग्राम ढाढण है मे से गुजरने वाले कटानी रास्ते से संलग्न नक्शे मे दर्शित X स्थान से फटकर खसरा नम्बर 494 मे से चलकर प्रार्थीगण संख्या 03 ता 06 के खसरा नम्बर 285 जिसका वर्तमान नम्बर 514 के मध्य मे से होता हुआ प्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेत खसरा नम्बर 284 जिसका वर्तमान नम्बर 521/1, 521/2 है मे प्रवेश करता है जिसे संलग्न नक्शे मे अंक ए.बी.सी. से दर्शित किया गया है का निर्धारण किया

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

जाकर राजस्व रिकॉर्ड नक्सा ट्रेस मे रास्ता अंकित किया जावे व अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा डालने से प्रतिबंधित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 01 को बार बार अवसर दिये जाने बावजूद भी जबाब नही देने पर जबाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार रामगढ शेखावाटी से प्रकरण मे मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी ने अपने पत्र क्रमांक /भू. अ./2017/1506 दिनांक 15.11.2017 पत्र से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मे राजस्व नक्शे व मौके पर एक रास्ता डोटेड लाईन का ढाणी बैजूपुरोहित से ढांढण खसरा नम्बर 491 मे से होता हुआ खेंत के उतरी पूर्वी कोने से गुजरता है। तथा दुसरा एक रास्ता ग्राम रामसीसर से उपरोक्त रास्ते को खसरा नम्बर 491 मे काटता हुआ खसरा नम्बर 494 मे प्रवेश करता है जो आगे खसरा नम्बर 513 व 510 मे से होता हुआ खसरा नम्बर 505 मे से गुजरने वाले एक दूसरे रास्ते पर जाकर मिलता है। मौके पर खसरा नम्बर 494 मे से 514 मे आने जाने हेतू एक पूराने रास्ते के निशान पाये गए जो इस वर्ष की खरीफ काटत से पुर्व बन्द किया हुआ है जिसे संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है। रामसीसर से आने वाले रास्ते (डोटेड) से खसरा नम्बर 494 मे वर्तमान मे एक रास्ता जिसे नक्शे मे क–ख दर्शाया गया है। 514 के उतरी पूर्वी कोने मे प्रवेश करता हैं, फिर खसरा नम्बर 514 की पूर्वी सीमा के सहारे होता हुआ पगडंडी के रूप मे खसरा नम्बर 521/2 मे प्रवेश करता है, तथा खसरा नम्बर 514 मे इसे ख–घ दर्शाया गया हैं यह रास्ता खसरा नम्बर 521/2 तक ही है, खसरा नम्बर 521/1 मे नही जाता हैं। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खसरा नम्बर 494 मेसे 514 मे आने हेतू न्यूनतम दूरी का रास्ता संलग्न नक्शे मे ग–ख से दर्शायागया है जिसकी लम्बाई 62 मीटर व प्रार्थीगण द्वारा चाही गई चौडी 4.58 मीटर है क्षेत्रफल 284 वर्गमीटर है।

प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 494 मे चाहा गया नवीन रास्ता की लम्बाई 74 मीटर व चौडाई 4.58 का कुल क्षेत्रफल 339 वर्गमीटर बनता है। जिसे नक्शे मे अ–ब(1) दर्शाया गया है, तथा खसरा नम्बर 514 से 521/1 व 521/2 के महम की सीमा तक जाने के लिए प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की लम्बाई 220 मीटर व चौडाई जिसे नक्शे मे ब(1)–ब(2) 4.58 मीटर से कुल क्षेत्रफल 1008 वर्गमीटर बनता है। खसरा नम्बर 494 व 514 की डी एल सी दर 2,07,710/– रूपये प्रति हेक्टेयर है। खसरा नम्बर 494 व 514 मे चालू रास्ते या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते मे कोई पेड(वृक्ष) या स्ट्रेक्चर आदि नही है।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने एवं तहसीलदार रामगढ शेखावाटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खेत ख. नं. 514, 521/1 तथा 521/2 में आवागमन के लिए प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुव्यवस्थित एवं

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

सुगम विकल्प उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा. का. अधिनियम स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण लालसिहं, गिरधारी सिहं पुत्रगण भंवर सिहं जाति दारोगा निवासी ढाढण स्थाई निवासी रामसीसर, अशोक कुमार, विजय कुमार, रामकुमार, पुत्रगण चन्द्रसिहं तथा मूली देवी पत्नी चन्द्रसिहं जाति जाट निवासीगण ढाणी बैजू पुरोहित तह. रामगढ शेखावाटी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रामगढ शेखावाटी के द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेश में लाल रंग से दर्शाया गया नवीन रास्ता अ—ब(1)—ब(2) जो ख. नं. 494 वाके ग्राम ढाढण तह. रामगढ शेखावाटी में से प्रार्थीगण के खेत ख नं. 514 से होता हुआ खसरा नम्बर 521/1 व खसरा नम्बर 521/2 के महम की सीमा तक जाता है जिसकी खसरा नम्बर 494 वाके ग्राम ढाढण मे लम्बाई 74 मीटर एवं चौड.ाई 4.58 मीटर कुल क्षेत्रफल 339 वर्ग मीटर है, तथा खसरा नम्बर 514 वाके ग्राम ढाढण मे लम्बाई 220 मीटर एवं चौडाई 4.58 मीटर से कुल क्षेत्रफल 1008 वर्गमीटर है, को गै. मु. रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद से पूर्व उक्त क्षेत्रफल का वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर का **दोगुना** की दर से खसरा नम्बर 494 के खातेदार धर्माराम पुत्र श्री लखुराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाढण तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर (राजस्थान) को क्षेत्रफल 339 वर्गमीटर का प्रतिफल राशि का भुगतान करें तथा खसरा नम्बर 514 वाके ग्राम ढाढण मे दर्शित रास्ता बिन्दू ब(1) से ब(2) तक लम्बाई 220 मीटर एवं चौडाई 4.58 मीटर से कुल क्षेत्रफल 1008 वर्गमीटर है को प्रार्थीगण अशोक कुमार, विजय कुमार, रामकुमार, पुत्रगण चन्द्रसिहं तथा मूली देवी पत्नी चन्द्रसिहं जाति जाट निवासीगण ढाणी बैजू पुरोहित तह. रामगढ शेखावाटी रास्ते हेतु सम्पर्ण करें। तहसीलदार रामगढ शेखावाटी को आदेश दिया जाता है कि प्रतिफल राशि के भुगतान तथा खसरा नम्बर 514 वाके ग्राम ढाढण मे प्रार्थीगण अशोक कुमार, विजय कुमार, रामकुमार, पुत्रगण चन्द्रसिहं तथा मूली देवी पत्नी चन्द्रसिहं जाति जाट निवासीगण ढाणी बैजू पुरोहित तह. रामगढ शेखावाटी के बाद उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेणू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढशेखावाटी(सीकर)